



झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-305/07 (II) - 15 (MD)

दिनांक : 16.01.2014

प्रेषक,

अभियान निदेशक  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,  
झारखण्ड।

**विषय:— Jharkhand Rural Health Mission Society अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कर्मियों/पाराचिकित्साकर्मी के मानदेय वृद्धि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है Jharkhand Rural Health Mission Society के अंतर्गत कार्यरत प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कर्मियों/पाराचिकित्साकर्मी का अनुबंध राशि भारत सरकार के पत्रांक No. 10(16)/2013-NRHM-I dated 23th September 2013 के द्वारा Supplementary RoP 2013-14 में स्वीकृति दी गयी है।

1. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त Conditionality पत्रांक DO No. 10(16) 2013-NRHM-I (II) dated 7<sup>th</sup> January 2014 को पूरा करने हेतु सभी सिविल सर्जनों को निम्नांकित निर्देश दिया गया है :-
  - a. Rational and equitable development of HR with the highest priority accorded to high priority districts and delivery points.
  - b. Facility wise performance audit and corrective action based thereon.
  - c. Performance Measurement System Set up and implemented to monitor performance of regular and Contractual Staff.
  - d. Baseline assessment of competencies of all SNs, ANMs, Lab Technicians to be done and corrective action taken thereon.
2. दिनांक 13.08.2013 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में मुख्य सचिव कार्यालय सभागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में हुई Jharkhand Rural Health Mission Society के शासी निकाय (Governing Body) की बैठक में Minimum Performance Appraisal उपरांत RoP आधारित मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
3. दिनांक 21.09.2013 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में हुई Jharkhand Rural Health Mission Society कार्यकारिणी समिति (Executive Body) की बैठक में Supplementary RoP 2013-14 में स्वीकृत मानदेय राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

Chaital Raja

उपरोक्त के आलोक में जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सभी प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/पाराचिकित्साकर्मी का भारत सरकार के पत्रांक No. 10(16)/2013-NRHM-I dated 23th September 2013 के द्वारा Supplementary RoP 2013-14 में मानदेय का विवरण निम्नांकित है:-

S.N.	Designation	Approved amount/month in Rs. as per Supplementary ROP FY 2013-14
1.	ANM	9900
2.	Staff Nurse	14300
3.	Lab Technician	10450
4.	Pharmacist	10450
5.	Radiographer	11000
6.	Block Programme Manager	15730
7.	Block Accounts Manager	15730

अतः निदेशित किया जाता है कि एन0आर0एच0एम0 अंतर्गत कार्यरत उक्त कर्मियों का अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के मासिक अनुबंध राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त Conditionality को पूरे करते हुये उपरोक्त स्वीकृति के अनुरूप भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

(Mansil Raja)  
(अभियान निदेशक)  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

ज्ञापक : 9/RCH -305/07 (II)-15 (MD)

दिनांक :- 16.01.2014

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार सह अध्यक्ष-शासी निकाय, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड -सह-अध्यक्ष-कार्यकारिणी समिति झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक वित्त, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति को सूचनार्थ।
5. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ।
6. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य आर0एस0सी0एच0 कार्यालय, नामकुम, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
7. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(Mansil Raja)  
(अभियान निदेशक)